

नियम 13 : अनिवासी कराधेय व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना

- (1) कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति, अपने विधिमान्य पासपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी आरईजी-09** में कारबार के प्रारंभ से कम से कम पांच दिन पहले प्रस्तुत करेगा :

परन्तु भारत से बाहर निगमित या स्थापित किसी कारबार अस्तित्व की दशा में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसके कर पहचान संख्यांक या विशिष्ट संख्यांक, जिसके आधार पर अस्तित्व की उस देश की सरकार द्वारा पहचान की जाती है या यदि उपलब्ध हैं तो उसके स्थायी लेखा संख्यांक सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

- (2) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्यांक दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति उसके इलेक्ट्रानिक नकद खाते में इलेक्ट्रानिक रूप से जारी की जाएगी।
- (3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे।
- (4) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन, उसके ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ¹[सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित] किया जाएगा, जो विधिमान्य स्थायी लेखा संख्यांक रखने वाला भारत में निवासी कोई व्यक्ति होगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 7/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.06.2017 द्वारा "हस्ताक्षरित" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।